राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1172/2023

1.अन्नू खजोतिया

2. रोशन कुमार जाजोरिया

3. सपना सावंरिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (एचओएफएफ), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर, राजस्थान।
4. सहायक वन संरक्षक, चिड़ियाघर, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.03.2023
आदेश की दिनांक : 25.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कमल कुमार माथुर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वन रक्षक के पद की भर्ती के लिए विभिन्न जिलों के लिए दिनांक 16.10.2015 (अनुलग्नक–1) को एक विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन जारी होने के बाद एक और संशोधित (शुद्धिपत्र) विज्ञापन दिनांक 26.10.2015(अनुलग्नक–2) को जारी किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार अपीलार्थी ने वन रक्षक के पद के लिए सभी अपेक्षित पात्रता योग्यता रखते हुए चयन प्रक्रिया में भाग लिया और अंतिम रूप से चयनित हुए। अपीलार्थी क्रमांक 1 अन्नू खजोतिया को आदेश दिनांक 12.07.2016 के द्वारा जिला राजसमंद में नियुक्त किया गया है। अपीलार्थी क्रमांक 1 का नाम आदेश दिनांक 12.07.2016 (अनुलग्नक–3) के आदेश के क्रमांक संख्या 62 पर है। तद्नुसार अपीलार्थी क्रमांक 1 ने दिनांक 18.07.2016 को जिला राजसमंद में कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी संख्या 1 को दिनांक 19.07.2018 के आदेश के द्वारा चिड़ियाघर जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और वह परिवीक्षा और प्रशिक्षण की अवधि पूरी करने के बाद दिनांक 20.07.2018 को उप वन

संरक्षक वन्यजीव, चिड़ियाघर के कार्यालय में जयपुर चिड़ियाघर में कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी क्रमांक 1 को उप वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ, राजसमंद द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2018 के अनुसरण में श्रैत्रीय वन अधिकारी (वन्यजीव) रावली द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.07.2018 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी क्रमांक 1 को जयपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया।

अपीलार्थी क्रमांक 2 रोशन कुमार जाजोरिया को आदेश दिनांक 01.06.2016 (अनुलग्नक–5) द्वारा वन रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलकर्ता नं. 2 का नाम आदेश दिनांक 01.06.2016 के क्रमांक संख्या 14 पर किया गया हैं। उन्हें उप वन संरक्षक, वन्य जीव, मुकंदरा, राष्ट्रीय उद्यान कोटा के अधीन पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी क्रमांक 2 रोशन कुमार जाजोरिया ने आदेश दिनांक 29.11. 2021 (अनुलग्नक–6) के अनुसरण में दिनांक 30.11.2021 को उप वन संरक्षक, वन्य जीव जयपुर के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।

अपीलार्थी क्रमांक 3 सपना सावंरिया को आदेश दिनांक 18.05.2016 (अनुलग्नक–7) द्वारा जिला करौली में नियुक्त किया गया, उसका नाम क्रमांक संख्या 49 पर अंकित है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद अपीलार्थी क्रमांक 3 का भी दिनांक 01.10.2018 के आदेश द्वारा जयपुर स्थानान्तरण हो गया। अपीलकर्ता संख्या 3 का नाम क्रमांक संख्या 56 पर अंकित है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 01.10.2018 (अनुलग्नक–8) के अनुसरण में 08.10.2018 को जयपुर में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में सभी अपीलकर्ता जयपुर में पदस्थापित हैं और उनके नाम वन रक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की वरिष्ठता सूची में भी शामिल किए गए हैं। यह अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 03.08.2022 को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद प्रकाशित की गई। (अनुलग्नक–9) अपीलकर्ता संख्या 1 का नाम क्रमांक संख्या 30 पर, अपीलकर्ता संख्या 2 का नाम क्रमांक संख्या 24 पर एवं अपीलकर्ता संख्या 3 का नाम आदेश दिनांक 25.08. 2022. के मद संख्या 22 में उल्लिखित है। उस सूची में से अपीलकर्ता ही उप वन संरक्षक, वन्य जीवन चिड़ियाघर, जयपुर के कार्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर के कार्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग का कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। डीपीसी के कार्यवाही के विवरण के अनुसार एससी वर्ग के पद वर्ष 2018–2019 से रिक्त हैं, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण ऐसे पदों को 2018 से आगे अग्रेषित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–10 व 11) वर्ष 2019–2020 में एससी वर्ग की पदोन्नति नहीं की गयी। जबकि एससी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध थे, लेकिन सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित 07 वर्ष का अनुभव अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध नहीं होने से इसलिए एससी वर्ग का पद फिर से रिक्त

रह गया। वर्ष 2020–2021 के लिए फिर से डीपीसी की बैठक 28.12.2020 को आयोजित की गई थी और इसके अनुसार एससी वर्ग के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण फिर से एससी वर्ग के 03 पद रिक्त रखे गए। इस प्रकार ये पद अनिवार्य रूप से एससी वर्ग के बैकलॉग के हैं और केवल एससी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरे जा सकते हैं। (अनुलग्नक–12) उसके बाद वर्ष 2021–2022 के लिए भी सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति के लिए एससी वर्ग के पद रिक्त रह गए और उन्हें वर्ष 2022–2023 के लिए आगे अग्रेषित कर दिया गया। उसके बाद वर्ष 2022–2023 के लिए उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर के कार्यालय ने डीपीसी के लिए एक प्रस्ताव भेजा जिसमें कम्र संख्या 4, 5 और 6 पर अपीलकर्ताओं के नाम शामिल थे। (अनुलग्नक–13) अपीलार्थी क्रमांक 1 के लिए राज्य सेवा में अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख 18.07.2016, अपीलार्थी क्रमांक 2 के लिए 30.05.2016 और अपीलार्थी क्रमांक 3 के लिए 20.05.2016 बताई गई है और यह भी अंकित किया कि वे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं। इस प्रकार एक नोट में यह भी उल्लेख किया गया था कि 03 पद रिक्त होने और एससी वर्ग के आगे बढ़ाए जाने के कारण दिनांक 01.04.2022 को जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 22, 25 और 30 पर उल्लिखित उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। यह प्रस्ताव अपीलकर्ताओं की पिछले 07 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी शामिल है और अपीलकर्ताओं के पास पिछले 06 वर्षों की एसीआर थी क्योंकि उन्होंने कुल 07 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम–2(के) के अनुसार एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में या वरिष्ठ से वरिष्ठ में पदोन्नति की शर्त के रूप में सेवा या अनुभव जहां भी इन नियमों में निर्धारित है। उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति के मामले में वरिष्ठ पद में निचले पद को शामिल किया जाएगा। बीकानेर डिवीजन के उसी वन विभाग ने डीपीसी के लिए विनम्र अपीलकर्ताओं के अन्य बैच साथियों पर विचार किया और उन्हें आदेश दिनांक 25.08.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2017 से पदोन्नति प्रदान की गई। इस आदेश में संदीप कड़वासरा और कपिल कुमार नाम के उन अभ्यर्थियों को पदोन्नति दी गई जिनकी नियुक्ति भी 01 अप्रैल 2016 के बाद हुई थी। (अनुलग्नक–14) प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अनुभव में एक वर्ष की छुट दे रहा है, जबकि नियम के अनुसार एक तिहाई तक छूट देने का प्रावधान है और कुल आवश्यक अनुभव 7 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार अनुभव में 2 वर्ष 4 महीने तक की छुट दी जा सकती है। अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 08.03.2023 (अनुलग्नक–15) अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। उप वन संरक्षक ने सहायक वनपाल की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता के कारण उन्हें छूट देने और उनकी पदोन्नति करने के

लिए विनम्र अपीलकर्ता के मामले की भी सिफारिश की है। उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 08.03.2023 अनुलग्नक–16 में अंकित किया गया है। प्रधान, मुख्य संरक्षक वन (प्रशासन) और प्रधान मुख्य संरक्षक, (वन बल के प्रमुख) को भी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–17)। दिनांक 30.09.2022 को आयोजित डीपीसी के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग ने कुल 06 अभ्यर्थियों के प्रस्ताव में से 03 अभ्यर्थियों के पदोन्नति आदेश जारी किये हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमोशन नहीं दिया गया है, हालांकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमोशन दिया गया है और उनकी प्रमोशन की तारीख भी 01.07.2022 से 01.08.2022 बताई गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थीगण को सहायक वनपाल के पद पर डीपीसी वर्ष 2022–2023 में पदोन्नति के साथ समस्त पारिणामिक लाभ ब्याज सहित दिलाये जावे एवं रिव्यू डीपी से हेतु आदेशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 52 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नियम 52 में कार्यअनुभव में शिथिलन/छूट प्रदान करने का विवेकाधिकार केवल मात्र राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग को दिया गया है जो कि नियम 52 के प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया जा चुका है। उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यह प्रावधान बाध्यकारी (Mandatory provisions) ना होकर विवेकाधिकारी (Discretionary provisions) है जिससे स्वतः सिद्ध है कि अपीलार्थीगण ''नियम 52'' के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग को दिये गये विवेकाधिकार की अधिकारस्वरूप मांग नहीं कर सकते है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में नियम 52 के अन्तर्गत अधिकार स्वरूप कार्य अनुभव में शिथिलन/छूट प्राप्त करने की प्रार्थना निरस्त किये जाने योग्य है। अनुभव में शिथिलन/छूट राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रशासनिक विभाग को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। अपील जिस जोइन्डर आफॅ पाटी के आधार पर निरस्त योग्य है। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अनुसार वनरक्षक से सहायक वनपाल की पदौन्नति हेतू 07 वित्तिय वर्ष का कार्यअनुभव आवश्यक है जिसमें कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.06.2022 एवं 27.09.2022 की अनुपालना में कार्यअनुभव में 1 वर्ष का शिथिलन/छूट दिये जाने के बावजूद अपीलार्थीगण का 06 वर्ष का कार्यअनुभव दिनांक 01.04.2022 को पूर्ण नहीं हुआ। उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर की वरिष्ठता सूची के अनुसार सूची में अंकित कार्मिक क्र० सं० 01, 02, 03, 04 को पदौन्नति वर्ष 2021–22 में हो

चुकी थी तथा सामान्य वर्ग के 02 पद रिक्त होने के कारण वरिष्ठता सूची के क्र० सं० 05 व 06 का चयन किया गया एवं अनुसूचित जनजाति का 01 पद रिक्त होने के कारण क्र० सं० 08 पद अंकित कार्मिक का चयन किया गया। अनुसूचित जाति के पात्र कार्मिको जिनकी 06 वर्ष की सेवा 01.04.2022 को पूर्ण हो चुकी हो, मिलने के कारण उक्त तीन पदों को आगामी वर्ष 2023–24 हेतु कैरी फोरवर्ड किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 27.09.2022 अनुलग्नक– आर/3 पर उपलब्ध है।

प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया, पदौन्नति में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण के बिन्दू पर विचार करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयन जो कि इस बिन्दू पर एक महत्वपूर्ण न्याय निर्णयन है का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :–

R- K- Sabharwal And Ors VS State Of Punjab And Ors] reported in 1995 SCC (2) 745 wherein at para 11 being relevant and germane] following has been noticed:

11- We may examine the likely result if the roster is permitted to operate in respect of the vacancies arising after the total posts in a cadre are filled- In a 100 point roster, posts filled at various roster points amongst from the 14 are scheduled Casts/ Scheduled Tribes candidates, 2 posts arc filled from amongst the Backward Classes and the remaining 84 posts general posts in posts the are filled from amongst the category- a are Suppose all the cadre consisting of 100 filled in accordance with roster by Thereafter December 31, 1994- in the year 1995, 25 general category persons (out of the 84) retire- Again in the 1996, 25 more persons category belonging persons to (out the of general the 84) retire- Again in the year 1996, 25 more persons belonging to the general category retire- The position which would emerge would be that the Scheduled Casts and Backward Classes would claim 16% share out of the 50 vacancies- If 8 vacancies are given to them then in the cadre of 100 posts the reserve categories would be holding 24 posts thereby increasing the reservation from 16% to 24%- On the contrary if roster the is permitted to operate till the total posts in same a cadre are filled by the category retirement etc- of persons whose caused the vacancies then the balance between the reserve category and the general category shall always be maintained- We make it clear that in the event of non& availability of a reserve candidate at the roster&point it would be open to the State Government to carry forward the point in a just and fair manner-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्याय निर्णय के अनुसार यदि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में की गई मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रतिशत बढ जायेगा जो कि संवैधानिक प्रावधानों व नियमों के विरूद्ध होगा। अपीलार्थी को उसके ही जातिसंवर्ग में पद रिक्त होने पर पदौन्नति का लाभ प्राप्त होगा अन्यथा आरक्षित श्रेणी व अनारक्षित श्रेणी में

असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी एवं अनुसूचित जाति व जनजाति संवर्ग को निर्धारित 16 प्रतिशत आरक्षण से अधिक आरक्षण प्राप्त हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "Union of India and Others V- Sangram Keshari Nayak, 2007 (6) SCC 704, में यह मत प्रतिपादित किया है कि:—

11- Promotion is not a fundamental right- Right to however] is considered be a right brings for promotion] fundamental right- Such a within effective] purposeful its purview an and meaningful consideration- Suitability or otherwise of the candidate concerned] however] must be left at the hands of the DPC] but the same has to be determined in terms of the rules applicable therefor--------

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के संदर्भ में न्यायालय के हस्तक्षेप की शक्तियां सीमित है, केवल दुर्भावना, मनमाना एवं नियमों के विपरीत आदेशों में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिये। पदौन्नति मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि पदौन्नति के लिए विचार किये जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस तरह का अधिकार अपने दायरे में एक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक विचार लाता है । संबंधित उम्मीदवार की उपयुक्तता या अन्यथा, हालांकि डीपीसी के हाथो में छोड दिया जाना चाहीये लेकिन इसे लागू नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, वर्ष 2022—23 हेतु वनरक्षक से सहायक वनपाल के पद पर पदौन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.11.2022 की कार्यवाही का विवरण है एवं जिस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा अंकित किया गया है कि इसमें क्रम सं0 4, 5 व 6 पद अपीलार्थीगण के नाम अंकित है भी गलत है।

अपीलार्थीगणों को वनरक्षक से सहायक वनपाल पर पदौन्नति हेतू दिनांक 01.04.2022 को नियमानुसार 07 वर्ष का कार्यअनुभव एवं कार्मिक विभाग द्वारा दी गई 01 वर्ष की शिथिलन पश्चात् 06 वर्ष का कार्यअनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थीगणों को नियमानुसार सहायक वनपाल के पद पर पदौन्नति नहीं दी जा सकती है। **''पात्र वनरक्षको के सेवाभिलेख, वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध विचाराधीन जांच एवं दण्ड की सूचना विभागीय पदौन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा उक्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा उक्त रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट हुई।''** इसमें कहीं भी अंकित नहीं है कि विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा अपीलार्थीगणों के 07 वर्ष वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन का अवलोकन किया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण माननीय अधिकरण को भ्रमित करने का प्रयास कर रहें है जो कि कानूनन उचित नहीं है । वन रक्षक से

सहायक वनपाल के पद पर अपीलार्थी की पदौन्नति वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी हुई। उक्त वर्ष की डी. पी. सी. हेतु उपलब्ध रिक्त पदों में से अनुसूचित संवर्ग का पदौन्नति हेतु कोई कार्मिक 06 वर्ष का कार्यअनुभव नहीं रखता था इसलिये उक्त पदों को कैरी फोरवर्ड किया गया है। अपीलार्थी राजस्थान वन अधीनस्थ संवा नियम 2015 के नियम 2 ज्ञ एवं नियम 52 की गलत व्याख्या माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। सर्वप्रथम नियम 2 ज्ञ के सम्बन्ध में लेख है कि अपीलार्थीगण का कार्यअनुभव दिनांक 01.04.2022 तक अपीलार्थीगण की नियुक्ति तिथी एवं उक्त नियुक्ति तिथी से गणना करने एवं अनुभव में एक वर्ष की शिथिलता कार्मिक विभाग के समसंख्यक प्रदर्श आर–1 के अनुसार दिये जाने के बावजूद अपीलार्थीगण का 06 वर्ष का कार्यअनुभव पूर्ण नहीं होता है । इस प्रकार अपीलार्थी पदौन्नति हेतु पात्रता नहीं रखते है। नियम 52 में राज्य सकार के प्रशासनिक विभाग को विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यक होने पर पदौन्नति में कार्यअनुभव एवं आयु में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यह नियम बाध्यकारी ना होकर विवेकाधिकारी है एवं उसमें बाध्कारी प्रावधान भी कार्मिक विभाग के लिए ही परन्तुक में दिया गया है कि उक्त शिथिलन कुल योग्यता का एक तिहायी (1/3) से अधिक नहीं होगा। विवेकाधिकार के उपयोग के लिए न्यायालय राज्य सरकार को बाध्य करने की अधिकारिता नहीं रखता है। इस प्रकार अपीलार्थी को नियम एवं नियम 52 से कोई लाभ प्रस्तुत अपील में प्राप्त नही होता है तथा साथ ही यह उल्लेखित किया जाना भी आवश्यक है कि प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त दोनो नियमों का अक्षरशः पालन किया है। विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.11.2022 को आयोजित की गई जिसमें उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिड़ियाघर जयपुर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली, वरिष्ठता सूची, सेवाअभिलेख, वा.का.मू. एवं अन्य सम्बन्धित रिकॉर्ड का समिति द्वारा नियमानुसार अवलोकन किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत सूचना के अनुसार कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिड़ियाघर जयपुर में सहायक वनपाल के स्वीकृत पद 33 है, जिनकी उक्त दिनांक को स्थिति संवर्गवार निम्न प्रकार थी :–

पदों का विवरण	अनारक्षित वर्ग	अनु. जाति वर्ग	अनु. जन जाति वर्ग	योग
स्वीकृत पद	25	5	03	33
दिनांक 01.04.2022 को कार्यरत कर्मचारी	25 (अनु. जनजाति के 03 कार्मिक सामान्य पदों के विरूद्ध कार्यरत)	02	03	30
रिक्त पद	0	03	0	3
01.04.2022 के बाद सेवानिवृति/स्थानान्तरण	2	0	0	2
01.04.2022 के बाद पदोन्नति	0	0	1	1

कुल रिक्त पद	2	3	1	6

पदौन्नति के 33 स्वीकृत पदो के विरूद्ध 25 पद अनारक्षित, 5 पद अनु० जाति वर्ग एवं 3 पद अनु० जनजाति वर्ग के कार्यरत थे। पदोन्नति में कार्यअनुभव व आयु में शिथिलता प्रदान करना राज्य सरकार का विवेकाधिकार है ना कि अपीलार्थीगण एवं अन्य कार्मिकों का संवैधानिक अधिकार। राज्य सरकार समय समय पर प्रशासनिक आवश्यकतानुसार पदोन्नति में शिथिलता प्रदान करती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में तीनों अपीलार्थीगण वर्तमान में वन रक्षक के पद पर उपमंडल वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर में वर्तमान में पदस्थापित है। प्रस्तुत अपील में वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरूद्ध सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति दिए जाने के संबंध में यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वन रक्षक से सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु संबंधित सेवा नियमों में 7 वर्ष का कार्यानुभव निर्धारित किया गया है। कार्मिक विभाग ने परिपत्र दिनाक 27.09.2022 द्वारा राज्य की सभी सेवाओं (राज्य सेवाओ, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालियक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा) के ऐसे पद जिन पर पदोन्नति हेतु 3 वर्ष या अधिक का अनुभव वांछित है, पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–23 के लिए एक वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया था। इस शिथिलन के पश्चात वर्तमान प्रकरण में वनरक्षक से सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु 6 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 के वनरक्षक से सहायक वनपाल के पद पर उप वन सरंक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर की उपलब्ध रिक्त पदों की डीपीसी 30.11.2022 को आयोजित की गई। जिसका कार्यवाही विवरण अनुलग्नक–13 में उपलब्ध है। जिसमें सामान्य वर्ग के 2, अनुसूचित जनजाति के 1 एवं अनुसूचित जाति के 3 रिक्त पद उपलब्ध थे। जिनके विरूद्ध सामान्य वर्ग के दो कार्मिक एवं अनुसूचित जनजाति के 1 कार्मिक की पदोन्नति की गई है और अनुसूचित जाति वर्ग के 3 पद अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित कार्यानुभव पूर्ण नहीं होने के कारण आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का निर्णय लिया। अपील में अपीलार्थीगण द्वारा अनुभव में एक तिहाई छूट अर्थात 2 वर्ष 4 महीने की छूट दिए जाने का निवेदन किया गया ताकि अपीलार्थीगण की पदोन्नति हो सके। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट दिया जाना राज्य सरकार का विवेकाधिकार है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत

समय–समय पर यह छुट प्रदान करती रहती है। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 27.09.2022 द्वारा अनुभव में एक वर्ष का शिथिलन प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। अतः अनुभव में एक तिहाई छूट प्रदान करने का निवेदन पर अधिकरण कोई आदेश पारित नहीं कर सकता विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा अनुभव में एक वर्ष के शिथिलन के पश्चात अपीलार्थी वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव पूरा करते है या नहीं। अपील के अनुसार अपीलार्थी क्रमांक 1 अन्नू खजोतिया की नियुक्ति आदेश दिनांक 12.07.2016 के द्वारा हुई एवं अपीलार्थी क्रमांक 2 रोशन कुमार जाजोरिया की नियुक्ति आदेश दिनांक 01.06.2016 (अनुलग्नक–5) द्वारा हुई एवं अपीलार्थी क्रमांक 3 सपना सावंरिया की नियुक्ति आदेश दिनांक 18.05.2016 (अनुलग्नक–7) द्वारा हुई तथा नियुक्ति की तिथी से रिक्ती वर्ष 2022–23 की रिक्ती के विरूद्ध दिनांक 01.04.2022 तक अपीलार्थीगण द्वारा 6 वर्ष का अनुभव पूरा नहीं किया जाता है। इसी आधार पर डीपीसी द्वारा अनुसूचित जाति के तीन रिक्त पदों को केरी फॉरवर्ड किया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिये गये इस निर्णय में हम कोई अवैधानिकता अथवा नियमविरूद्धता नहीं पाते है। अपीलार्थीगण का यह कथन है कि उनके बेच के अन्य कर्मचारियों को वर्ष 2022–23 की रिक्ती के विरूद्ध बीकानेर डिवीजन में पदोन्नति प्रदान कर दी गई है जिसका आदेश भी अपील में अनुलग्नक–14 में प्रस्तुत किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि बीकानेर उपमंडल में वनरक्षक से सहायक वनपाल के पद पर डीपीसी द्वारा आयोजित बैठक 25.08.2022 द्वारा की गई पदोन्नति का प्रकरण इस अधिकरण के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसलिए इस संबंध में कोई टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी डिविजन में नियम विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई हो तो इसे आधार बनाया जाकर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत हमारा यह विनम्र मत है कि अपील सारहीन और बलहीन है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)